

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

दिनांक 24-11

संख्या-7/स्था0-4-04/2016सा0प्र0 1037/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-43262 दिनांक 12.07.2016 अनुवर्ती पत्रांक-52926 दिनांक 19.08.2016 एवं पत्रांक-63582 दिनांक 23.09.2016 द्वारा व्यवहार न्यायालयों में पुराने लंबित महिला, बालक, विभिन्न जरूरतमंद व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, समाज के उपेक्षित वर्गों एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन संबंधित मुकदमों के त्वरित निष्पादन हेतु गठित फास्ट ट्रैक न्यायालयों में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर जिला न्यायाधीश संवर्ग के सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पुनर्नियोजित कर निम्नांकित नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम एवं पदनाम	पदस्थापन
1	श्री अब्दुल सलाम, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	पटना
2	श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश।	पटना
3	श्री अभय कांत झा, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	मधेपुरा
4	श्री विद्याधर प्रसाद पाण्डेय, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	मधेपुरा
5	श्री अच्युता नन्द उपाध्याय, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	कटिहार
6	श्री सुभाष चन्द्र प्रसाद, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	कटिहार
7	श्री अजीत कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश।	भागलपुर
8	श्री बशिष्ठ नारायण सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय।	भागलपुर
9	श्री कुमार प्रकाश सहाय, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय।	मुजफ्फरपुर
10	श्री अरूण कुमार झा, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	खगड़िया
11	श्री नारायण प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	खगड़िया
12	श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश।	बक्सर
13	श्री वीरेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश।	बक्सर
14	श्री अरविन्द कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय।	अररिया

15	श्री विश्वनाथ, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	अररिया
16	श्री बिमल कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	मुंगेर
17	श्री नारायण पंडित, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	मुंगेर
18	श्री विनय कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय।	मधुबनी
19	श्री यमुना प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	मधुबनी
20	श्री विनय कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय।	जहानाबाद
21	श्री राम विनोद सिंह, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश।	जहानाबाद
22	श्री बिपिन बिहारी मिश्रा, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	सीतामढ़ी
23	श्री रविन्द्र प्रसाद ठाकुर, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	सीतामढ़ी
24	श्री बिपिन बिहारी पाण्डेय, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	औरंगाबाद
25	श्री मिथिलेश कुमार राय, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	औरंगाबाद
26	श्री बिपिन दत्त पाठक, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश।	हाजीपुर
27	श्री राणा अभय सिंह, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश।	हाजीपुर
28	श्री ब्रजेन्द्र कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश।	पूर्वी चम्पारण
29	श्री राम पुकार यादव, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	पूर्वी चम्पारण
30	श्री चौधरी बृजेन्द्र कुमार राय, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश।	दरभंगा
31	श्री मो० खुशीद आलम, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश।	दरभंगा
32	श्री दरोगा प्रसाद, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश।	समस्तीपुर
33	श्री राम शंकर सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय।	समस्तीपुर
34	श्री देवेन्द्र प्रसाद केसरी, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय।	लखीसराय
35	श्री विश्वनाथ प्रसाद, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	लखीसराय

36	श्री दिग्विजय सिंह, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	गया
37	श्री कामेश्वर नाथ राय, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय।	गया
38	श्री रामा शंकर सिंह यादव, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	आरा, भोजपुर
39	श्री डॉ० कुमार देव दत्ता, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश।	नवादा
40	श्री सतीश चन्द्र सिन्हा, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय।	नवादा
41	श्री गंगा प्रसाद, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	सहरसा
42	श्री गोविन्द चन्द्रायन, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश।	सहरसा
43	श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	जमुई
44	श्री सुनील कुमार सिन्हा मुकुल, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	जमुई
45	श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	रोहतास
46	श्री सतीश चन्द्र राय, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	रोहतास
47	श्री झुला नन्द झा, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	सुपौल
48	श्री समीर कुमार झा, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश।	सुपौल
49	श्री कैलाश कुमार महथा, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	बाँका
50	श्री नन्दलाल प्रसाद, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	बाँका
51	श्री मनमोहन चौधरी, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय।	बेगूसराय
52	श्री यत्तेन्द्र नाथ पाण्डेय, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	बेगूसराय
53	श्री श्रीनिवास नारायण सिंह, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	मुजफ्फरपुर
54	श्री ओम प्रकाश III, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	पश्चिमी चम्पारण
55	श्री रूप नारायण त्रिपाठी, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	पश्चिमी चम्पारण


56	श्री ओम प्रकाश सिंह, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	कैमूर
57	श्री श्याम बिहारी राय, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय।	कैमूर
58	श्री पंचानन शर्मा, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश।	भोजपुर
59	श्री परशुराम शुक्ला, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय।	सीवान
60	श्री सरोज कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय।	सीवान
61	श्री राम प्रताप अस्थाना, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	नालन्दा
62	श्री एस0एम0 नसीमुद्दीन, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश।	नालन्दा
63	श्री शम्भु नाथ सिंह, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश।	पूर्णियाँ
64	श्री विजय कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय।	पूर्णियाँ
65	श्री श्रीनिवास सिंह, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	गोपालगंज
66	श्री उमेश चन्द्र उपाध्याय, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	गोपालगंज
67	श्री श्याम किशोर साह, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	सारण
68	श्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	सारण

उपर्युक्त सेवानिवृत्त पदाधिकारी की पुनर्नियुक्ति पीठासीन पदाधिकारी के पद पर निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी:-

- (i) पुनर्नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ एवं अस्थायी तौर पर आरंभ में 06 (छः) माह के लिए होगी। पुनर्नियुक्त अतिरिक्त पीठासीन पदाधिकारियों द्वारा सम्पादित किये गये कार्यों की समीक्षा उच्च न्यायालय, पटना द्वारा की जायेगी और उनके कार्य संतोषजनक पाये जाने पर उनकी सेवा की आवश्यकता होने पर अवधि बढ़ायी जायेगी। पुनर्नियोजन के लिए कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
- (ii) उनकी नियुक्ति किसी भी समय यहाँ तक कि 06 (छः) माह के पूर्व भी माननीय उच्च न्यायालय, पटना की अनुशंसा पर समाप्त की जा सकेगी।
- (iii) सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त मूल वेतन से पेंशन (Commutation सहित) घटाने के बाद शेष राशि पर अनुमान्य मंहगाई भत्ता देय होगा। पेंशन पर मंहगाई राहत मिलता रहेगा।
- (iv) सेवानिवृत्त पीठासीन पदाधिकारियों को परिवहन भत्ता मद में 50 लीटर पेट्रोल के समतुल्य राशि देय होगी परन्तु अलग से उन्हें गाड़ी देय नहीं होगी।


- (v) सेवानिवृत्त पीठासीन पदाधिकारी को दूरभाष की सुविधा के लिए 1000/- (एक हजार) रुपये का SIM देय होगा परन्तु मोबाईल अलग से देय नहीं होगा।
- (vi) आवासीय सुविधा के बदले जिस शहर में न्यायालय कार्यरत है वहाँ के लिए अनुमान्य दर पर मकान किराया भत्ता देय होगा।
- (vii) पीठासीन पदाधिकारियों को उनके एक वर्ष के नियोजन अवधि में 16 दिन का आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा। इसके अतिरिक्त कोई अवकाश अनुमान्य नहीं होगा।
- (viii) वर्तमान में न्यायालय की जो आधारभूत संरचना की सुविधा उपलब्ध है, उसी के तहत न्यायालय तथा कार्यालय कार्यरत रहेगा। इसके लिए अलग से आधारभूत संरचना की सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।
- (ix) न्यायिक पदाधिकारियों से संबंधित यह सुविधा विभागीय ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.2015 में वर्णित अन्य संविदा कर्मियों पर प्रभावी नहीं होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(गुफरान अहमद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-4-04/2016सा0प्र0...1037.../पटना-15, दिनांक 27-1-17
प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-4-04/2016सा0प्र0...1037.../पटना-15, दिनांक 27-1-17
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-43262 दिनांक 12.07.2016 अनुवर्ती पत्रांक-52926 दिनांक 19.08.2016 एवं पत्रांक-63582 दिनांक 23.09.2016 के प्रसंग में/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 25.01.2017 में मद संख्या-14 के प्रसंग में अनुपालन प्रतिवदेन/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, गुलजारबाग, पटना/सभी संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।

निबंधित